न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 5/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खीयाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी किरड हाल निवासी गोनरडा तहसील डेगाना।		1प्रहलादराम 2मोहनराम 3तुलछाराम 4सुखाराम पुत्रान प्रभुराम जातियान माली निवासीगण किरड तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 20.2.20

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा प्रकरण सं. 01/2015 अनवान खीयाराम बनाम प्रहलादराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु को विचाराधीन रखते हुए दिनांक 21.01.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 26.10.15 की फोटोप्रति तथा उपखण्ड अधिकारी डेगाना के वाद की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अपीलांट ने उपरोक्त अनुवान की एक अपील न्यायालय हाजा में पेश की है जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित होने से अपीलांट को उसमें कामयाबी मिलने का पूरा–पूरा विश्वास है। अपीलांट गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा परिवार के भरण पोषण हेतु कई बार भेडो को लेकर गांव से बाहर जाना पडता है। इस कारण अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी समय पर नही हो सकी। अभी हाल ही में 5–7 रोज पूर्व जब अपीलांट गांव आया एवं डेगाना जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने पत्रावली व आदेश की नकल अपीलांट को दी व कहा कि आपके खिलाफ आदेश हुआ है आगे अपील करनी पडेगी तब अपीलांट को प्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जैर अपील की बिल्कुल भी जानकारी नही थी। अपीलांट अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। जिसे कानून की पूरी जानकारी नही है। इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन मे सीसीसी 2012(2) पेज 747, डीएनजे (राज) 2003(3) पेज 1090, आरआरटी 2013(1) पेज 473, सीसीसी 2015(2) पेज 248 नजीरे प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकले दिनांक 30.11.15 को लेकर करीबन चार माह पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। देरी के संबंध मे प्रत्येक दिन का हिसाब देना होता है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है तथा अपने कथन मे समर्थन मे आरआरटी 2010(2) पेज 801, आरआरटी 2011(2) पेज 851, आरआरटी 2015(1) पेज 82, आरआरटी 2015(1) पेज 232 तथा आरआरटी 2013(2) पेज 737 नजीरे प्रस्तुत की है। प्रकरण मे अपीलांट द्वारा देरी के कारण हेतु अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा बताया गया कारण माकूल प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अंतिम बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अवैध एवं पूर्णत विधि विरूद्व ढंग से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो पर गौर किये मनमाने ढंग से आदेश जैर अपील पारित किया है। इस कारण भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि बाबत वाद विचाराधीन होने मात्र को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है। जबकि उक्त वाद जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में अंकित किये है वो वाद अपीलांट द्वारा उक्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के काफी समय बाद पेश किये है। इस कारण उक्त आवेदन के पश्चात पेश किये गये किसी भी वाद पत्र का इस आवेदन पर कानूनन कोई असर नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अन्य वाद का उल्लेख करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–धारा 183(बी) टिनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रावधानो के अनुसार ऐसी कोई कानूनी बाधा नही है कि यदि वादग्रस्त सम्पति बाबत कोई वाद बाद में किया जाता है तो 183(बी) के तहत कार्यवाही नही चल सकती। इस संबंध में 2005 आरआरडी पेज 256 स्पष्ट है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्टस ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना जवाब आवेदन में स्पष्ट रूप से माना है। किन्तु उक्त कब्जा किस प्रकार से है। इस बाबत कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 135 रकबा 22.08 बीघा की 11.04 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्टस का अवैध रूप से कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी होने बाबत कोई भी दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश नही किये गये। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र राजस्व वाद विचाराधीन होने को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की है। जिसमें स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत अथवा टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक भूल की है। इस कारण आदेश जैर अपील निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी अप्रेल 2005 पेज 256 नजीर प्रस्तुत की।

{3}–रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि आराजी भूमि साबिका खसरा नं. 135 रकबा 22.08 बीघा के नये खसरा नं. 239 रकबा 3.6300 हैक्ट. मौजा किरड बने है। जो रेस्पोडेन्ट की पुरानी कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि आयी हुई है तथा वर्तमान मे उक्त पूर्वी आधे हिस्से पर काबिज रहते हुए मकान व बाडे बनाये हुए है। पश्चिमी हिस्से मे सेटलमेंट के पहले से ही रेस्पोडेन्ट के पिता प्रभुराम जी का कब्जा काश्त था। भू प्रबन्ध कर्मचारियो ने गलती से अपीलांट की खातेदारी सह कब्जेकाश्त के रूप मे दर्ज कर दी। मगर उनका कभी भी कब्जाकाश्त नही रहा है। आराजी भूमि को लेकर नियमित राजस्व न्यायालय मे वाद सं. 77/2015 प्रहलादराम बनाम सुवटी विचाराधीन है। जब नियमित न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है तो वही से स्वामित्व अधिकार तय होने है। इस कार्यवाही मे रेस्पोडेन्ट को बेदखल नही किया जा सकता है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार आराजी भूमि संयुक्त खाते की अविभाजित भूमि है। जिस पर अपीलांट का बिना विभाजन के कौनसी भूमि पर हक हिस्सा है। यह स्पष्ट नही होने से उन्हे कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 1995 पेज 208, आरआरटी 2004(1) पेज 241 नजीरे पेश की।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत मामले में नकल जमाबंदी ग्राम किरड संवत 2070–2073 के अनुसार मौजा किरड के खसरा नं. 239 रकबा 3.63 हैक्ट. भूमि सुवटी बेवा किशनाराम, भंवरलाल, झूमरमल पिता गणेशराम 1/2 कौम भांबी (मेघवंशी) साकिन देह, कमलादेवी पत्नी खींयाराम हिस्सा 1/20, पांचाराम पुत्र तेजाराम हिस्सा 1/20, देवाराम पुत्र हरकरण हिस्सा 3/20, ताराचंद, रामनिवास पिता नारायणराम, रामेश्वरी पत्नी नारायणराम हिस्सा 1/4 कौम माली साकिन देह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इस आराजी भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

सहखातेदारी होना रिकार्ड से साबित है तथा अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त संपूर्ण खसरे पर कब्जा मालियो का (स्वर्ण जाति के व्यक्ति) का होना अंकित हुआ है। ऐसी स्थिति मे जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में यह बखूबी साबित है कि निर्विवाद रूप से अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा जिनकी रिकार्डेड सहखातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है, तो ऐसी स्थिति मे भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित होने व बंटवाडे का दावा सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन होने के आधार पर 183 बी की कार्यवाही को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियो द्वारा किये गये कब्जे को चिन्हित करते हुए दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर नवीन आदेश पारित करे।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान